न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा सं0 : 63/18

लादुलाल पिता दौला खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
..... वादी

– बनाम –

1:– कैलाशीबाई पति स्व0 श्यामलाल बलाई निवासी पाडावास तह0 बेगूं
2:– राजकुमार पिता स्व0 श्यामलाल बलाई निवासी पाडावास तह0 बेगूं
3:– छगनी पुत्री स्व0 श्यामलाल बलाई निवासी पाडावास तह0 बेगूं
4:– गंगाबाई पुत्री स्व0 देवीलाल बलाई नि0 पाडावास हा0मु0 पत्नी सौचन्द बलाई नि0 रात्यातलाई तह0
बेगूं
5:– शांतिबाई पुत्री स्व0 देवीलाल बलाई नि0 पाडावास हा0मु0 पत्नी नाथूलाल बलाई नि0 सेमलिया तह0
बेगूं
6:– नारायण पिता गोपी बलाई नि0 पाडावास तह0 बेगूं
7:– भैरूलाल पिता स्व0 चुन्नीलाल नि0 पाडावास तह0 बेगूं
8:– सीताबाई पुत्री स्व0 चुन्नीलाल नि0 पाडावास तह0 बेगूं
9:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ
10:–श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेगूं
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :: अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 28.11.2024

निर्णय वाद अ0धा0 53–88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53–88 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

यह कि मौजा माल का नयागांव प0ह0 मण्डावरी तह0 बेगूं में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित कृषि आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है जो निम्नानुसार है –

खाता सं0	आराजी सं0	क्षेत्रफल
20	709	0.9470 है0
	710	0.4700 है0
कुल कीता 02	कुल रकबा – 1.4170 है0	लगान 12.30 रूपये

यह कि वादपत्र में अंकित खाता सं0 20 में वर्णित संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि में वादी का 7/24 हक हिस्सा निहित व प्रतिवादी सं0 1 से 5 तक का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 का 1/3 व प्रतिवादी सं0 7 व 8 का 1/24 हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 8 ने मौके पर आपसी सहमति से मौखिक विभाजन कर अपने–अपने निहित हक हिस्सा आराजीयात का विभाजन कर मौके पर निरंतर काबीज हो काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन वाद वर्णित वादी, प्रतिवादीगण के निहित हिस्सा आराजीयात का मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि को कम ज्यादा को लेकर एवं फसल घास काटते समय एवं लगान आदि जमा कराने समय विवाद होकर मनमुटाव होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिये वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा तहसील में चलकर वाद वर्णित अविभाजित कृषि आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन करा खाता अलग–अलग दर्ज कराने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर दिये जाने के कारण वादी का यह वादपत्र वास्ते विभाजन घोषणा हेतु यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 से 8 तक के निहित हक हिस्सा आराजीयात का मौके पर काबीजानुसार एवं राजस्व रिकार्ड में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किया जाकर खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है इसलिए वादी का यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

यह कि वाद कारण दिनांक 15.05.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से तहसील में चल कर आराजी जेर बहस का विधिवत रूप से विभाजन करा खाता अलग-अलग दर्ज कराने के लिये कहा, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है-

(अ) कि मौजा माल का नयागांव प0ह0 मण्डावरी तह0 बेगूं की वादपत्र में अंकित आराजी सं0 709, 710 कुल कीता 2 कुल रकबा 1.4170 है0 भूमि में वादी का 7/24 हिस्सा निहित, प्रतिवादी सं0 1 से 5 तक का 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 का 1/3, प्रतिवादी सं0 7 व 8 का 1/24 हक हिस्सा निहित भूमि मौके पर हिस्सा व काबीजानुसार राजस्व रिकार्ड में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

(ब) कि वाद विभाजन वादी के निहित हक हिस्सा भूमि का खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे।

अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे।

(स) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे।

वाद अ0धा0 53-88 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 से 8 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तदोपरांत वादी की और से स्वयं वादी के साक्ष्यवादी में बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन में पाया कि वादपत्र में अंकित वाद वर्णित आराजियात में वकील वादी ने अपने हक हिस्से का स्पष्ट अंकन नही किया है। वादी ने उक्त आराजियात मे अपना हिस्सा 7/24 बताया है किन्तु वर्तमान जमाबंदी 2078 -2078 मे वादी का 1/3 हिस्सा है। वादी ने अपने संशोधितवाद पत्र की कलम स. 7 मे सहखातेदार लादुलाल व श्रीमति प्रतापी बाई फोत होना बताया जाकर मृतक के विधिक वारिसान पक्षकार बनाये गये है का अंकन किया हुआ है किन्तु आपने अपने वाद पत्र मे कहीं स्पष्ट नही किया है कि मृतक के विधिक वारिसान वादी या प्रतिवादी के रूप मे कौन कौन है। प्रकरण मे वकील वादी ने यह अंकित किया है वादी 1/3 (7/24) स्वय 1/24 हक हिस्सा विक्रता भेरूलाल व सीताबाई से पंजिकृत विक्रय विलेख से क्रय किया। वादी का कुल हिस्सा कितना बनता है यह स्पष्ट नही किया है। जिससे वादी के पक्ष मे कितनी आराजी की घोषणां कि जानी है यह स्पष्ट नही होता है। प्रकरण मे हिस्सा स्पष्ट नही होने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाना संभव नही हैं।

अतः वादी का वाद अ.धा. 53-88 राज. काश्त. अधि. सिद्ध नही होने से एतद् खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाय गया।

(सत्यवीर सिंह)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौडगढ़

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 63 / 18

लादुलाल पिता दौला खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
..... वादी

– बनाम –

1:– कैलाशीबाई पति स्व0 श्यामलाल बलाई निवासी पाडावास तह0 बेगूं
2:– राजकुमार पिता स्व0 श्यामलाल बलाई निवासी पाडावास तह0 बेगूं
3:– छगनी पुत्री स्व0 श्यामलाल बलाई निवासी पाडावास तह0 बेगूं
4:– गंगाबाई पुत्री स्व0 देवीलाल बलाई नि0 पाडावास हा0मु0 पत्नी सौचन्द बलाई नि0 रात्यातलाई तह0 बेगूं
5:– शांतिबाई पुत्री स्व0 देवीलाल बलाई नि0 पाडावास हा0मु0 पत्नी नाथूलाल बलाई नि0 सेमलिया तह0 बेगूं
6:– नारायण पिता गोपी बलाई नि0 पाडावास तह0 बेगूं
7:– भैरूलाल पिता स्व0 चुन्नीलाल नि0 पाडावास तह0 बेगूं
8:– सीताबाई पुत्री स्व0 चुन्नीलाल नि0 पाडावास तह0 बेगूं
9:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ
10:–श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेगूं
.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी की ओर कोई नही एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 28.11.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है।

अतः वादी का वाद अ.धा. 53–88 राज.काश्त.अधि. सिद्ध नही होने से एतद् खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाय गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़